

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के ज्ञापांक 1301 दिनांक 25.8.15, पत्रांक 1234 दिनांक 9.9.16, 1448 दिनांक 18.11.16, अपर समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर के ज्ञापांक 1098 दिनांक 27.07.16 एवं 1523 दिनांक 6.12.16 से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 436 दिनांक 29.11.16, 184 दिनांक 14.6.16 एवं 09 दिनांक 12.1.17 द्वारा खाता संख्या 35992442463, आई.एफ.एस.सी SBIN0002932, 1252106114892 आई.एफ.एस.सी CNRB0001252, 1674108015481 आई.एफ.एस.सी CNRB0001674, 3326886073 आई.एफ.एस.सी SBIN0003615 एवं खाता संख्या 5245108511 आई.एफ.एस.सी CNRB0005245 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रितों/ लाभार्थियों के खाता में त्रुटिपूर्ण बैंक खाता विवरणी रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 436 दिनांक 29.11.16 के क्रमांक 08, 184 दिनांक 14.6.16 के क्रमांक 2, 09 दिनांक 12.1.17 के क्रमांक 04, 07, 11 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर के पत्रांक 848, 849 दिनांक 6.9.17, 759 दिनांक 22.8.17, 862, 863 दिनांक 11.9.17 के द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि का विमुक्ति का आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बरसन सिंह, 38, सामान्य	श्रीमती अंजु देवी(पत्नी)	1098/27.07.16	ग्रा०+पो०-खीलवत, था०+प्र०-बिदुपुर, वैशाली	3599244 2463	भारतीय स्टेट बैंक, देसरी, SBIN0002932	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० राम लोहित ठाकुर, 55, स्व० राम भजन ठाकुर, सामान्य	श्रीमती राधा देवी(पत्नी)	1301/25.8.15	ग्रा०-पोझिया, पो०+था०+प्र०-लालगंज, वैशाली	1252108 114892	केनरा बैंक, CNRB0001252	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर
3	स्व० मिथलेश सिंह, 57, सामान्य	श्रीमती विमल देवी(पत्नी)	1234/9.9.16	ग्रा०+पो०-हाँसी केवल, प्र०+था०-भगवानपुर, वैशाली	1674101 017920	केनरा बैंक, बिटीली, CNRB0001674	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० जगदीश राय, स्व० हरिहर राय, सामान्य	श्रीमती सीता देवी(पत्नी)	1523/6.12.16	ग्रा०-महनार टॉडा चौड़ी, पो०+था०+प्र०-महनार, वैशाली	3326288 6073	भारतीय स्टेट बैंक, महनार, SBIN0003615	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री
5	स्व० पाँचु पासवान, श्री विशेश्वर पासवान, अनु० जाति	श्रीमती विन्दा देवी(पत्नी)	1448/18.11.16	ग्रा०-महनार नया टोला, वार्ड -15, पो०+था०+प्र०-महनार, वैशाली	5245108 000511	केनरा बैंक, महनार, CNRB0005245	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, टेला चालक

कुल :- ₹ 290000/-

(दो लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रि के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।





4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संचिका सं० श्रम क० सं०-21/2015 के पृष्ठ-70/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर को उनके पत्रांक 848, 849 दिनांक 6.9.17, 759 दिनांक 22.8.17, 862, 863 दिनांक 11.9.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को उनके ज्ञापांक 1301 दिनांक 25.8.15, पत्रांक 1234 दिनांक 9.9.16, 1448 दिनांक 18.11.16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-21/2015-315

पटना, दिनांक :-16-07-18

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

316125
12.7.18
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

6/8/18/18
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

13/07/18
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।